

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक: ४५५/न०पा०परि०/कर०वि०/२०१९

दिनांक: ७/०८/२०१९

१. श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री तिलकराज शर्मा निवासी- डी० २८४ गोविन्दपुरी मोदीनगर।

नाम परिवर्तन नोटिस धारा १४७(बी)

विषय:-

नगर पालिका अधिनियम १९१६ की धारा १४७(बी) के अंतर्गत के सम्बन्ध में

महोदय

आपको सूचित किया जाता है कि मौहल्ला गोविन्दपुरी म०न० ३/३१९ डी २८४ क०स० ३२८ पर नगर पालिका परिषद के गृहकर अभिलेखों में श्री तिलकराज शर्मा के नाम दर्ज है। श्री ललित अरोडा पुत्र श्री मुंशीराम व श्रीमति वन्दना अरोडा पत्नी श्री ललित अरोडा द्वारा उक्त भवन पर अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साक्ष्य के रूप में बैनामा व शपथ पत्र आदि संलग्न किया गया है। श्री ललित अरोडा पुत्र श्री मुंशीराम व श्रीमति वन्दना अरोडा पत्नी श्री ललित अरोडा प्रार्थना पत्र दिनांक ०१.०६.२०१९ के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर मौहल्ला गोविन्दपुरी म०न० ३/३१९ डी २८४ क०स० ३२८ पर पालिका गृहकर अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

अतः उपरोक्त नामांतरण के सम्बन्ध में इस नोटिस की प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर यदि आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात आपकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए गृहकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

प्रतिलिपि:-

- श्री ललित अरोडा पुत्र श्री मुंशीराम व श्रीमति वन्दना अरोडा पत्नी श्री ललित अरोडा निवासी-एस०सी०एच० डी०-४ छोटी मार्केट गोविन्दपुरी मोदीनगर।
- राजस्व निरीक्षक व सम्पत्ति लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या ०१ सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद-विवाद अथवा सरकारी सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में कोई वाद विवाद/सरकारी सम्पत्ति पाये जाने पर समस्त आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
- श्री अंकित गोयल को इस आशय के साथ प्रेषित की नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाइट [www.nppmodinagar.com](http://www.nppmodinagar.com) पर सूचना को अपलोड करें।

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।